Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.

Depositor/Dep...

1500/-

FIRST ORDER SHEET

COURT: न्यायालयः– अभिजीत सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद, जिला–उज्जैन (म.प्र.)

म.प्र.राज्य आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम ...... वि. भेरु ......

Case No. ...493 / 2022

CIS No. .... / .... / 2022 SUM/217/2022

FIR No. ...252 / 2022

CNR No.: MP130 S001153 2022 / 2022

Date of order or proceeding	Order or proceeding with signature of presiding officer	Signature of parties or pleaders where necessary
18/10/22	आरक्षी केन्द्र बिरलाग्राम के द्वारा अपराध क्र.– 252/22 धारा– 34 Ex Act ......के अंतर्गत आरोपी / गण....भेरु पिता बद्रीलाल भूरिया जाति भील उम्र 22 वर्ष 22 वर्ष नि. रूपाखेड़ा ......के विरूद्ध के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आरोपी / आरोपीगण के विरूद्ध धारा 190 द्रं.प.सं. के तहत संज्ञान लिया जाता है। प्रकरण केन्द्रीय आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध किया जाये। प्रकरण में आरोपी / आरोपीगण को धारा 207 द्रं.प.सं. के तहत अभियोग पत्र व अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो की नकले प्रदान की गई। प्रकरण में संपत्ति प्रस्तुत / प्रस्तुत नहीं। जप्तशुदा संपत्ति मालखाने में जमा किया जाए। आरोपी / आरोपीगण ने प्रकट किया कि वे अपराध स्वीकार करना चाहते है, उन्हें समझाईश दी गयी कि वह स्वीकृति हेतु बाधित नही है, उसे / उन्हें कारावास से भी दण्डित किया जा सकता है। आरोपी / आरोपीगण ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध करना स्वीकार किया। संक्षिप्त विचारण की प्रकिया अपनाई गई। आरोपी / आरोपीगण को धारा– 34 Ex. Act ...... के अंतर्गत अपराध विवरण पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर अभियुक्त / आरोपीगण ने स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया। स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को अतर्गत धारा 34 Ex Act ...... अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया गया। निर्णय पृथक से समरी शीट पर घोषित किया गया। निर्णयआरोपी / आरोपीगण....भेरु पिता बद्रीलाल भूरिया जाति भील 22 वर्ष नि. रूपाखेड़ा थाना पेटलावद ....के आरोप के लिए कमशः रूपये को ....धारा 34 Ex Act ...... 1500/- ......के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति....04 लीटर शराब ...... भट्टी कच्ची शराब नष्ट कि जावे। प्रकरण का परिणाम अंकित कर अभिलेख नियत समयावधि में अभिलेखागार भिजवाया जाये। (हस्ताक्षर) अभिजीत सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)	

Scanned with CamScanner

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
TIN (Tax payment Identification Number) / Enrollment / Registration No.

FIRST ORDER S[illegible] 5um/2018

पुनश्च:-

अभियुक्त द्वारा [illegible] की राशि 1500/- रुपये [illegible] चीरिशन क्रमांक [illegible] में जमा की गई।

अभियुक्त द्वारा न्यायालय उठने तक की सजा भुगताई जाकर [illegible] गया।

प्रकरण का परिणाम [illegible] अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
खाचरौद, जिला-उज्जैन म.प्र.

Department of Finance, Government of Madhya Pradesh
Acknowledgement Receipt for Online Tax Payment
to M.P. State Government

TIN (Tax payment Identification Number) / Registration No.

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1898

In the court of .Magistrate. **Abhijeet singh**, J.M.F.C. Class.............................

Case No ....

Name and address of the complainant आरक्षी केन्द्र खिलचीपुर

Name, apparentage, Caste and address of accused

अशोक पिता बद्रीलाल गुरिया जाति भील उम्र 22 साल नि. ग्राम रूपगढ़ थाना पेटलावद

The offence complained of, and date of. Its alleged commission

01- आपने दिनांक 21.06.22 समय 19:00 स्थान ग्राम .... पर अवैध रूप से बिना वैध अनुज्ञप्ति के 04 लीटर कच्ची शराब लीटर शराब को अपने आधिपत्य में रखा ?

इस प्रकार आपने वह अपराध किया है, जो कि **धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जो इस न्यायालय के संज्ञान में है।

ऐसा कर आपने **धारा 34 (1)** मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम का अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के संज्ञान व क्षेत्राधिकार में है।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

The plea of the accused and his examination (if any)-

अभिवाकः- अपराध स्वीकार है

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

The offence proved, if any, and in case under clause, (d) clause (e) clause (f) or clause (g), og Sub-section (I) of Section 260 the Value of the property in respect of which the offence has beeb committed.

Scanned with CamScanner

//निर्णय//

(आज दिनांक 18.10.22 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द बिरलाग्राम द्वारा आरोपी भेरू पिता बद्रीलाल के विरूद्ध अपराध कमांक 0252/22 धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम अंतर्गत अभियोग--त्र पेश किया गया।

02— प्रकरण में आरोपी भेरू पिता बद्रीलाल पर धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

03— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं सहपत्रों तथा आरोपी द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

04— प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है, अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

05— अतः आरोपी भेरू पिता बद्रीलाल को धारा 34 (1) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 1500/- रूपये जुर्माना तथा न्यायालय उठने तक की दंडित सजा से किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के पृथक से साधारण कारावास से दंडित किया जाता है।

06— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत् नष्ट की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

Unique Regi...
Department and O...
Challan Payment...
MPT00...

Scanned with CamScanner